राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-12(7)ग्रावि/नरेगा/ग्राम सेवक/2010 जयपुर, दिनांक 9/9/10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

10 SEP 2010

विषयः-महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु नियोजित अर्द्ध/कुशल श्रमिक(Semi/Skilled labour) को पारिश्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अनेक बार ग्राम पंचायत क्षेत्र से बाहर के निवासी जिनका उस ग्राम पचांयत का जॉब कार्ड नहीं होता है, को भी कारीगर के रुप में निर्माण कार्य हेतु नियोजित करना पड़ता है। ऐसे श्रमिकों को अकाउन्ट पेई (Account payee) चैक देने पर उनको शीघ्रता से एवं समय पर मजंदूरी राशि नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके खाते ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति मुख्यालय पर नहीं होते हैं। अतः इस संबंध में कार्य की सुगमता के मद्दे नजर ऐसे प्रकरणों में कुशल श्रमिकों को उनका नाम, वल्दियत एवं पूरा पता लिखते हुए संलग्न प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति के बैंकर को ग्राम सेवक /रोजगार सहायक/ विकास अधिकारी द्वारा बीयरर चैक (Bearer cheque) जारी कर दिया जावें, ताकि इन कुशल श्रमिकों को उनके कार्य स्थल मुख्यालय पर ही राशि का भुगतान हो जावे। ऐसे प्रत्येक कुशल श्रमिक की बैंक में पहचान संबंधित ग्राम सेवक/ रोजगार सहायक/ विकास अधिकारी को करनी होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नरेगा राशि में नियोजित अर्द्ध/कुशल श्रमिक का नियोजन मस्टररोल पर ही किया जाकर सामग्री मद में से यह राशि व्यय की जावे।

भवदीय,

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।
(पृष्ठ भाग को देखें)

9/9/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)।
2- रक्षित पत्रावली।

9/9/10
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

Sub:- Semi/Skill Labour Wages payment by Account Payee Cheque

कार्यालय ग्राम पंचायत................../ कार्यालय विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत समिति..............

दिनांक :

कमांकः-

शाखा प्रबन्धक,
..............................,
.............................।

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नियोजित अर्द्ध कुशल/कुशल श्रमिक श्री/श्रीमती...पुत्र/पत्नी................................निवासी (पूरा पता)...दिनांक.............. को जारी बीयरर चेक (Bearer cheque) संख्या...................................... ....राशि.................................आपके पास भिजवाया जा रहा है, इनके हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित किये जा रहे हैं। कृपया इन्हें बीयरर चैक (Bearer cheque) का भुगतान कर दिया जावे।

हस्ताक्षर श्रमिक ....

प्रमाणित

भवदीय,

हस्ताक्षर विकास अधिकारी/ग्रुप सचिव/
रोजगार सहायक
पूरा नाम ....
पदनाम...

प्रतिलिपि श्रमिक श्री .... को प्रेषित कर लेख है कि इस चैक को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखकर उक्त बैंक से नकद राशि प्राप्त करें। इसके खो जाने पर कोई भी व्यक्ति इसका भुगतान उठा सकता है।

ग्रुप सचिव ग्राम पंचायत